

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2025 की सीट आवंटन काउन्सिलिंग प्रक्रिया

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2025 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के अनुसार आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (<https://jeecup.admissions.nic.in>) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी०, पासवर्ड तथा मोबाइल न० को पूरी काउन्सिलिंग अवधि में क्रियाशील रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ०टी०पी० मोबाइल न० पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओ०टी०पी०, आवंटन-पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप (**Sandes App**) पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को **android** उपयोगकर्ता **Google Playstore** तथा **iOS** उपयोगकर्ता **App store** से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्म, सीट एक्सेटेंस शुल्क रु० 3250/- (जिसमें रु० 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) की रसीद, सीट एलाइनेंट लेटर, डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन लेटर एवं एडमिशन लेटर की एक-एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।

काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार सम्पादित होंगी। काउन्सिलिंग शिड्यूल <https://jeecup.admissions.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा। काउन्सिलिंग चरणों की संख्या नियामक संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० आदि द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
2. काउन्सिलिंग प्रक्रिया विभिन्न ५ चरणों में आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण आवंटन नहीं होगा। काउन्सिलिंग चरणों की संख्या नियामक संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० आदि द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र, वैध आरक्षण प्रमाण-पत्र (ई०डब्ल०ए०स०/ओ०टी०सी०/ए०स०सी०/ए०स०टी०) एवं आरक्षण उपर्याम प्रमाण-पत्र (दिव्यांग/सैनिक आश्रित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
4. काउन्सिलिंग में सीट एक्सेटेंस शुल्क रु० 3250/- (जिसमें रु० 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा), अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा।
5. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केन्द्र को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के लिए चुना जायेगा। इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभिलेख सत्यापन (डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन) के अतिरिक्त अन्य सभी काउन्सिलिंग सम्बन्धी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी कम्प्यूटर/टैब/स्मार्ट फोन का उपयोग कर पूर्ण कर सकता है। अभ्यर्थी चावाइस फिलिंग/पूछ-ताछ या काउन्सिलिंग से सम्बन्धित किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित राजकीय एवं अनुदानित सहायता केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ-४ पर अंकित विन्दु-३ पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे।
6. रजिस्ट्रेशन, विकल्प ध्यान एवं सीट आवंटन के पश्चात सीट एक्सेटेंस शुल्क रु० 3250/- (जिसमें रु० 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

11. चतुर्थ चरण में सीट आवंटन पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए Freeze अथवा Float का विकल्प उपलब्ध रहेगा तथा अन्य प्रक्रियायें बिन्दु संख्या-11 के अनुसार ही की जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी पंचम चरण की काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।

पंचम चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी इस वर्ष के लिए Freeze हो जायेंगे तथा उन्हें सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3250/- (जिसमें ₹0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा ₹250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) आनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के पश्चात उसे अपने चयनित सहायता केन्द्र/डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी।

यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी इस वर्ष की काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।

12. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन -प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। एक से अधिक ग्रुप में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सभी सम्बन्धित ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख सत्यापन के समय जिस ग्रुप की न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उस ग्रुप की सीटों हेतु अभ्यर्थी को अनर्ह माना जायेगा तथा अगले समस्त चरणों में अभ्यर्थी को ऐसे ग्रुप की सीटें प्रदर्शित नहीं होंगी।

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कभी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार सहायता केन्द्र प्रभारी/काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

1. यदि कभी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा—अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2025 को 14 वर्ष से कम है, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
2. यदि कभी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवाप पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग (GEN EWS, OBC, SC, ST)/उपवर्ग (MP, FF, PH)/महिला कोटे/उ0प्र0 राज्य से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग/राज्य) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर/राज्य को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से पोर्टल पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर/राज्य के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

SC/ST – MP/FF/PH	→	SC/ST	→	UNRESERVED
OBC-NCL – MP/FF/PH	→	OBC-NCL	→	UNRESERVED
GEN EWS – MP/FF/PH	→	GEN EWS	→	UNRESERVED
GEN EWS – MP/FF/PH	→			UNRESERVED

- सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- अभ्यर्थी के जेण्डर में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा।
- अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण-1, 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण-4 से पुनः अर्ह हो जायेगा।

13. प्रवेश शुल्क – सीट आवंटन एवं विकल्प चयन के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3250/- (जिसमें ₹0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा ₹250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) आनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। अभिलेख परीक्षण के पश्चात अवशेष शुल्क आवंटित संस्था में उपस्थित होकर जमा करना होगा। विभिन्न संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण उ0प्र0 प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup2018.in पर एवं विवरण-पुस्तिका-2025 (Information Bulletin-2025) में प्रदर्शित है।

यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम रूप से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केन्द्र अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत करते हुए उस संस्था में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है।

14. प्रोवीजनल एडमिशन लेटर –शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोवीजनल लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थीयों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करना होगा।
15. Withdrawal from counseling process: यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2025-26 में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण से पूर्व के चरण तक आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3000/- वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में सभी पाठ्यक्रम ग्रुपों में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले।

- (अ) शुल्क की वापसी अभ्यर्थी/अभिभावक के बैंक खाते में ही की जायेगी। अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी सम्भव नहीं हो सकेगी।
- (ब) इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी अपने लॉगिन से लिंक पर जाकर अपना स्वयं/अभिभावक का बैंक विवरण यथा— खाता संख्या, आईडीएफ०एस० कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे। जमा किये गये सम्पूर्ण शुल्क की वापसी इसी बैंक खाते में की जायेगी।

शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष-2025 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात की जायेगी।

अभ्यर्थीयों हेतु विशेष निर्देश :

1. सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3250/- (जिसमें ₹0 3000/- शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा तथा ₹250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) सम्मय नहीं जमा करता है तो उसे आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी। अतः अभ्यर्थीयों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प साक्षात्तनीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर अभिलेख सत्यापित करवा लें तथा आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश की कार्यवाही सम्मय पूर्ण कर लें।

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अहता रखने वाले, संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अभ्यर्थी विगत वर्ष की कटआफ (Opening & Closing Rank) का वेबसाइट <https://jeecup.admissions.nic.in> पर भली-भाँति अध्ययन करते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार सीट आवंटन की समावना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करें।

चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउन्सिलिंग में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2025 में उत्तीर्ण (तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (Other State) के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं, पात्र होंगे। इन दोनों चरणों में अभ्यर्थी असीमित विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा कर अभिलेख सत्यापन का कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य है।

शुल्क-

काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात अपने संस्था में जाकर अवशेष प्रवेश शुल्क ३०१०००० एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में आवंटन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹0 3250/- (जिसमें ₹0 3000/- शिक्षण शुल्क में

समायोजित किया जायेगा तथा 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) आनलाइन जमा करेंगे तथा शेष शुल्क संस्था में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा किया जायेगा।

नोट : संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था सम्बन्धी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया सम्बन्धित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर सम्बन्धित संस्था में सम्पर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निमानुसार सम्पर्क कर सकते हैं :-

दूरभाष: 0522-2630667, 2630106, 2630695, 2636589

ईमेल: jeecuphelp@gmail.com

MM

QV